

राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक:एफ 13(7)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2024

जयपुर, दिनांक : 25-09-2024

गेहूं आवंटन आदेश माह नवम्बर, 2024(खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)

अवर सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी आवंटन आदेश संख्या 7-1/2019-बीपी-III पार्ट V (e-376706) दिनांक 16.10.2023 एवं आदेश संख्या 15-33/2012-NFSA-पार्ट दिनांक 23.11.2023 विभागीय आदेश दिनांक 07/08.02.2019 तथा गार्डलाईन दिनांक 12.02.2019 के क्रम में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल तथा PHH अन्य श्रेणी के राशनकार्डधारी लाभार्थियों को निःशुल्क पात्रतानुसार **माह नवम्बर, 2024** हेतु गेहूं का जिलेवार उप-आवंटन संलग्न **परिशिष्ट-1** के अनुसार किया जाता है। उचित मूल्य दुकानवार उप-आवंटन खाद्य विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित है। उक्त आवंटन के उचित मूल्य दुकानवार उठाव के दौरान निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करें :-

- 1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र लाभार्थियों/परिवारों को खाद्यान्न (गेहूं) उपलब्ध कराना अनिवार्य है। गेहूं का मासिक आवंटन दो श्रेणियों में निम्नानुसार किया जा रहा है :-

गेहूं आवंटन की श्रेणियां (Categories)		
श्रेणी	शीर्षक	दर
प्रथम	AAY, BPL & SBPL	निःशुल्क
द्वितीय	PHH (Others)	निःशुल्क

- 2- खाद्य विभाग द्वारा जिले की उचित मूल्य की दुकानों पर पंजीकृत "अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल व PHH अन्य श्रेणी" के पात्र परिवारों/लाभार्थियों की विभागीय पोर्टल पर दिनांक **07.09.2024** की अद्यतन संख्या के आधार पर गेहूं का आवंटन, ऑफलाईन वितरण वाली दुकानों को सम्मिलित करते हुए, एतद्वारा जिलेवार उचित मूल्य दुकानवार किया जाता है।
- 3- माह नवम्बर, 2024 हेतु आवंटित गेहूं का उठाव दिनांक **01 अक्टूबर, 2024** से प्रारम्भ किया जावे तथा दिनांक **31 अक्टूबर, 2024** तक शत-प्रतिशत उठाव किया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जावे। खाद्यान्न उठाव की अवधि नहीं बढ़ायी जावेगी तथा कम उठाव किये जाने के कारण लाभार्थियों के गेहूं प्राप्ति से वंचित रहने पर संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- 4- खाद्य विभाग (मुख्यालय) से जारी जिलेवार एवं प्रत्येक उचित मूल्य दुकानवार गेहूं के आवंटन आदेश के अनुरूप श्रेणीवार गेहूं के उठाव का रिलीज आर्डर (RO) जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।
- 5- आवंटित गेहूं के जिला स्तर पर भारतीय खाद्य निगम से निर्धारित समयावधि में शत-प्रतिशत मात्रा के उठाव एवं उचित मूल्य दुकानों पर आपूर्ति की संयुक्त जिम्मेदारी जिला रसद अधिकारी एवं प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति की होगी। वह उचित मूल्य दुकानों पर आपूर्ति किये गये गेहूं का तौल कराकर आपूर्ति कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- 6- उचित मूल्य दुकान को आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) मात्रा राशन डीलर की पोस मशीन पर प्रदर्शित होगी जिसे राशन डीलर द्वारा रिसीव करने पर आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) मात्रा "सेन्ड टू पोस" हो जायेगी। जिला रसद अधिकारी/प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति संयुक्त रूप से आवंटित गेहूं की सम्पूर्ण मात्रा को पोस मशीन में रिसीव कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। विसंगति की स्थिति में संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- 7- खाद्य विभाग के पोर्टल पर भी गेहूं के आवंटन, उठाव एवं वितरण हेतु श्रेणीवार प्रविष्टियां संधारित की जाएगी।
- 8- योजनान्तर्गत थोक विक्रेता (KVSS/MCS) एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर श्रेणीवार वितरित गेहूं के माहवार स्टॉक रजिस्टर के संधारण की व्यवस्था समुचित मार्गदर्शन देकर प्रारम्भ करवाये जाने हेतु पूर्व

Yours

में दिये गये निर्देशों की पालना की जाए तथा संधारित रजिस्टर के सैम्पल जांच नियमित रूप से जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन स्टॉफ द्वारा किया जाए, ताकि श्रेणीवार लाभार्थियों को निर्धारित पात्रतानुसार गेहूं प्राप्त होने की पुष्टि हो सकें।

- 9— नवीन व्यवस्था अन्तर्गत श्रेणीवार वितरित गेहूं का माहवार स्टॉक रजिस्टर (Stock Register) उचित मूल्य दुकानदार द्वारा संधारित किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन पोस पर परिलक्षित अनुसार ऑपनिंग एवं क्लोजिंग बैलेन्स स्पष्ट अंकित किया जाएगा। प्रतिदिन वितरण एवं अवशेष स्टॉक की मात्रा श्रेणीवार (अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेटबीपीएल एवं PHH अन्य) संधारित की जाएगी। स्टॉक रजिस्टर में श्रेणीवार प्रविष्ट मात्रा का मिलान पोस पर परिलक्षित मात्रा से होना आवश्यक है।
- 10— गेहूं वितरण की ग्राहकपर्ची (Beneficiary Receipt) पोस मशीन से आवश्यक तौर पर जारी की जाएगी तथा प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध करवाई जाएगी।
- 11— सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट व्यवस्था अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानवार राशनकार्डों की संख्या के आधार पर गेहूं का आवंटन किया जा रहा है। अतः आवंटन के अनुरूप उठाव सुनिश्चित किया जाना जिला रसद अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। विशिष्ट परिस्थितियों में गेहूं के आंशिक समर्पण की आवश्यकता होने पर जिला रसद अधिकारी अपने स्तर से उचित मूल्य दुकानवार आवंटित मात्रा में कमी करते हुए उप आवंटन जारी करें।
- 12— ऑफलाइन वितरित किये गये गेहूं की आगामी माह की 15 तारीख तक पोस मशीन/पोर्टल पर इन्द्राज एन्ट्री कराया जाना सुनिश्चित करें। विसंगति की स्थिति में संबंधित जिला रसद अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- 13— खाद्य सुरक्षा योजना में लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण माह नवम्बर, 2024 के आवंटन में एससीएम पोर्टल पर अंकितानुसार उचित मूल्य दुकानों के पास उपलब्ध अधिकतम समायोजन योग्य प्रारम्भिक अवशेष स्टॉक का समायोजन नहीं किया गया है। इसके बावजूद अगर किसी उचित मूल्य दुकान पर एससीएम पोर्टल लागू होने से पूर्व का एनएफएसए अतिरिक्त गेहूं भौतिक रूप से उपलब्ध हो, तो जिला रसद अधिकारी अपने स्तर पर उक्त गेहूं का समायोजन कर मुख्यालय द्वारा जारी आवंटित मात्रा में कम करते हुए उप आवंटन किया जाना सुनिश्चित करें। यहां यह भी सुनिश्चित किया जावे कि किसी भी निष्क्रिय पोस मशीन हेतु आर.ओ. जारी न हो पावे।
- 14— “वन नेशन वन राशनकार्ड” के तहत अन्य राज्यों के लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार से प्राप्त आवंटन की उपलब्धता तक उचित मूल्य दुकानवार आवश्यक मात्रा का आवंटन किया गया है।
- 15— माह नवम्बर, 2024 के पेटे आवंटित खाद्यान्न के आवंटन/उठाव/वितरण हेतु विभाग द्वारा दिनांक 12.02.2019 को जारी की गई गाईडलाइन की समुचित पालना सुनिश्चित की जावे।
विभाग द्वारा गेहूं उठाव बाबत जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 26.07.2014 अनुसार आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) का उठाव उसके पूर्व माह की अंतिम तिथि तक किया जाना सुनिश्चित करें। भारत सरकार द्वारा वैधता अवधि का विस्तार नहीं किये जाने बाबत निर्देश प्रदान किये गये हैं।

शेष अन्य सभी नियम एवं शर्तें पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी।

नोट:—वर्तमान में नवसृजित जिलों हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत खाद्यान्न का आवंटन पृथक से नहीं किया जा रहा है। नवसृजित जिलों का खाद्यान्न आवंटन पूर्वानुसार ही किया जा रहा है, संबंधित जिला रसद अधिकारी पूर्वानुसार स्थित उचित मूल्य दुकानों हेतु उप-आवंटन/आर.ओ. जारी करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार।


(मूनम प्रसाद सागर)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त



प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि ऑफलाईन उचित मूल्य दुकानों पर वितरण के इन्द्राज हेतु ऑप्शन स्थायी रूप से खोलने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का श्रम करें।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, उपायुक्त (प्रथम/द्वितीय), खाद्य विभाग, राज.जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम लि., जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि आवंटित मात्रा का निर्धारित समयावधि में उठाव करने तथा उचित मूल्य दुकान पर शत-प्रतिशत उठाव मात्रा की आपूर्ति हेतु संबंधित को निर्देशित करने का श्रम करें।
9. महाप्रबंधक (क्षेत्र), क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, नेहरू पलेस, टॉक रोड, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न (गेहूँ) के रिलीज आर्डर स्थानीय/निकटतम एफ.सी.आई. गोदामों से जारी करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करावें।
10. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., खाद्य विभाग, राज.जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उचित मूल्य दुकानवार चालान काटे जाने की प्रक्रिया पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के पश्चात् बन्द कराया जाना सुनिश्चित करें।
11. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान/प्रबंधक, खाद्य आपूर्ति निगम, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि नियमित रूप से माह के प्रत्येक दिन पर्याप्त संख्या में ट्रकों की उपलब्धता करवाते हुए, उक्त योजना में समानुपातिक रूप से भारतीय खाद्य निगम के कार्य दिवसों में निर्धारित वैधता अवधि के दौरान आवंटित गेहूँ का शत-प्रतिशत उठाव कराया जाकर एवं वितरण सुनिश्चित करावें। भारतसरकार के निर्देशानुसार वैधता अवधि का विस्तार नहीं किया जावेगा। उचित मूल्य दुकानवार चालान काटे जाने की प्रक्रिया पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के पश्चात् बन्द करदी जावेगी। अतः निर्धारित वैधता अवधि में शत-प्रतिशत मात्रा का उठाव कर उचित मूल्य दुकानवार चालान काटा जाना सुनिश्चित करें। जिला रसद अधिकारी/प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति संयुक्त रूप से आवंटित गेहूँ की उचित मूल्य दुकानों पर तौल कराकर आपूर्ति कराया जाना तथा आपूर्ति की गई सम्पूर्ण मात्रा को पॉस मशीन में रिसीव कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। विसंगति की स्थिति में संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
12. ए.सी.पी.(खाद्य) को प्रेषित कर लेख है कि सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से समन्वय स्थापित कर ऑफलाईन उचित मूल्य दुकानों द्वारा किये गये वितरण का पोर्टल पर इन्द्राज कराने हेतु ऑप्शनस्थायी रूप से खुलवाने की कार्यवाही करें।
13. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को सभी संबंधित को ईमेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


अतिरिक्त खाद्य आयुक्त



NFSA Regular Wheat Allotment November-2024

परिशिष्ट-1

Sr. No.	District	Category wise Net allotment				Final Allotment (M.T.)
		Net NFSA AAY Allotment (M.T.)	Net NFSA BPL Allotment (M.T.)	Net NFSA SBPL Allotment (M.T.)	Net NFSA APL Allotment (M.T.)	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Ajmer	630.980	956.170	400.105	6263.340	8250.595
2	Alwar	693.385	1455.650	514.665	9814.100	12477.800
3	Banswara	1517.250	2430.815	727.990	3068.650	7744.705
4	Baran	1594.635	861.290	191.315	2797.010	5444.250
5	Barmer	825.405	2519.150	390.730	6229.555	9964.840
6	Bharatpur	499.450	1409.895	338.470	6066.815	8314.630
7	Bhilwara	905.240	1641.410	536.955	4873.675	7957.280
8	Bikaner	400.575	2069.400	455.445	3810.775	6736.195
9	Bundi	429.275	701.715	203.220	2624.490	3958.700
10	Chittaurgarh	951.825	952.925	613.775	2622.370	5140.895
11	Churu	778.155	1911.560	399.465	3949.075	7038.255
12	Dausa	346.990	1127.655	168.115	4130.560	5773.320
13	Dhaulpur	307.405	688.500	146.755	3277.135	4419.795
14	Dungarpur	1093.680	2615.980	354.325	2380.055	6444.040
15	Ganganagar	390.810	1322.800	149.490	4196.650	6059.750
16	Hanumangarh	466.620	1033.180	182.020	3516.840	5198.660
17	Jaipur	446.881	1614.795	514.240	12944.660	15520.576
18	Jaisalmer	221.550	469.270	116.335	1351.085	2158.240
19	Jalor	754.775	1574.940	338.525	3721.005	6389.245
20	Jhalawar	565.075	1180.585	290.455	3542.085	5578.200
21	Jhunjhunun	311.955	544.665	209.490	5739.375	6805.485
22	Jodhpur	306.355	1841.380	209.390	8672.960	11030.085
23	Karauli	554.085	1490.755	271.150	2644.035	4960.025
24	Kota	319.725	1061.565	164.765	3163.135	4709.190
25	Nagaur	582.785	1401.020	374.795	9709.820	12068.420
26	Pali	651.420	1395.375	363.985	4596.885	7007.665
27	Pratapgarh	470.855	1054.710	254.095	1619.580	3399.240
28	Rajsamand	667.870	1012.795	276.050	2765.555	4722.270
29	Sawai Madhopur	525.595	870.300	306.160	2916.765	4618.820
30	Sikar	289.765	823.595	181.725	7660.965	8956.050
31	Sirohi	351.120	627.980	199.735	2749.470	3928.305
32	Tonk	566.090	909.735	365.615	3400.985	5242.425
33	Udaipur	1781.115	3993.390	847.375	5307.500	11929.380
Total		21198.696	45564.950	11056.725	152126.960	229947.331

Yours
 सुनम प्रसाद सागर
 अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं
 परिसर निदेशक, उपभोक्ता मामलात।